

डिक्री बमुकदमें ईलादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या- 114/2019

अनवान :-

श्रीमती रंशनी पत्नी दलीप पुत्री स्व० रायसाहब जाति जाट आयु- 44 वर्ष निवासी भट्टूकलां तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)---वादीया


बनाम

सन्दीप कुमार पुत्र स्व० रायसाहब आयु-32 वर्ष जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़---प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष वारते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे वहाजरी श्री अनिल सिडाना, वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री विजयपाल शर्मा, प्रतिवादी मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि कि वादीया तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 6 सी.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या-172/156 प०न० 223/238 (20) कि०न० 6, 15, कुल तादादी 0.506 है० कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी का हिस्सा कम किया जावे, जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....वाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक अदा करें।

वसुदा मेरे दस्तखा एवं मुहर अदालत से दिनांक 3<sup>9</sup>/<sub>19</sub> को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी